बिहार सरकार

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना
(बिहार सरकार का उपक्रम)
केवल ई–निविदा पद्वति के अनुसार वेबसाईट एवं www.eproc2.bihar.gov.in पर
SBD (EPC) ई0–निविदा आमंत्रण सूचना सं0–60/2024–25

1	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना–800023
2	निविदा आमंत्रण की तिथि	:	दिनांकः 07.02.2025
3	निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड) करने की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांकः 24.02.2025 से 17.03.2025 को 03:00 बजे तक।
4	निविदा जमा करने (अपलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय	:	दिनांक–18.03.2025 को 03:00 बजे तक।
5	निविदा खोलने (तकनीकी बीड) की तिथि एवं समय	:	दिनांकः 19.03.2025 को 03:00 बजे तक।
6	वित्तीय बीड खोलने की तिथि एवं समय	:	तकनीकी बीड मूल्यांकन के पश्चात्
7	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र विक्री, प्राप्ति एवं खोलने का स्थान	:	संबंधित उप महाप्रबंधक, (कॉलम–9 के अनुसार) का कार्यालय
8	प्री–बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांक–03.03.2025 को 16:00 बजे संबंधित उप महाप्रबंधक के कार्यालय कक्ष में।
9	प्री–बीड मीटिंग की तिथि, समय एवं स्थान	:	दिनांकः 04.03.2025 को 16:00 बजे, मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, अस्पताल रोड, शास्त्रीनगर, पटना–23
10	निविदा वैद्यता की तिथि	:	120 दिन
11	कार्य की विवरणीः–		

क्र0	कार्य का नाम	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र की राशि	अग्रधन की राशि (₹ में)	निविदा कागजात/परिमाण विपत्र का मूल्य (₹ में)	Bid Processing Fee सेवा कर सहित	कार्य समाप्ति की अवधि (माह में)	उप महाप्रबंधक का नाम
1	3	4	5	6	7	8	9
1	माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में भागलपुर जिला के नवगछिया में खेल अवसंरचना के निर्माण कार्य।	₹23,09,12,567.00	₹33,10,000.00	₹10,000.00	As per website	15 (पन्द्रह)	भागलपुर
2	माननीय मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणा के आलोक में खगड़िया जिला अन्तर्गत गाँधी इंटर हाई स्कूल, वेलदौर प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम निर्माण कार्य।	₹12,92,28,342.00	₹22,93,000.00	₹10,000.00	As per website	12 (बारह)	मुंगेर

12. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में निबंधित हों अथवा राष्ट्रीय स्तर के हों, निविदा मे भाग ले सकते है परन्तु कार्य का लेटर आफ एक्सेप्टेंस प्राप्त होने के वाद भवन निर्माण विभाग में समुचित श्रेणी में ऑनलाईन निबंधन (भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक–5501(भ0) दिनांक–20.09.2021 के आलोक में) कराना अनिवार्य होगा। वैसे संवेदक जो निविदा में भाग लेने के लिए भवन निर्माण विभाग का निबंधन उपयोग में लाते हैं उनका ऑनलाईन निबंधन ही मान्य होगा।

13. निविदा केवल ई–निविदा पद्वति के अनुसार वेबसाइट(www.eproc2.bihar.gov.in)पर निष्पादित किया जाएगां। ई–निविदा प्रक्रिया से संबंधित जानकारी Toll Free No.-18005726571से प्राप्त किया जा सकता है।

14. ई–निविदा में भाग लेने के इच्छुक संवेदकों को ई–प्रोक्योरमेंट के साथ निबंधन कराना होगा। वेवसाईट पर आवश्यक निबंधन प्रपत्र उपलब्ध है। इस निबंधन से उन्हें user idतथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificate) भी प्राप्त करना होगा। user id, password, DSCएवं इन्टरनेट के उपयोग से ही संवेदक ई–निविदा में भाग ले सकेंगे।

15. निविदादाताओं को सिर्फ वेवसाइट पर ही, निविदा कागजात प्राप्त (डाउनलोड) एवं जमा (अपलोड) करना होगा। सुनिश्चित जगहों पर भरे गये विहित प्रपत्रों को एवं आवश्यक कागजातों को समर्पित करना होगा। निविदा खुलने की जानकारी तथा निविदा संबंधित किसी भी प्रकार के शुद्धि–पत्र की जानकारी निगम के वेवसाईट https://bsbccl.bihar.gov.in/www.eproc2.bihar.gov.inसे प्राप्त होगी।

16. परिमाण विपत्र के मूल्य की राशि (जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जायेगा) का भुगतान ऑन लाईन अर्थात Internet Payment Gateway (IPG)के माध्यम से जमा करना होगा एवं उक्त वर्णित Internet Payment Gateway (IPG)की छायाप्रति संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0,(कॉलम–9 के अनुसार)अथवा महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना अथवा मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय में निविदा खोलने की अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

17. Bid processing fee + Service Tax (कॉलम–7) का भुगतान संवेदक Internet Payment Gateway (Credit/ Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/ RTGS Challan के माध्यम से BSEDC Ltd.के Bid Processing Fee Account में Credit करेंगे। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा। यह फीस निविदा प्रपत्र डाउनलोड की अंतिम तिथि एवं समय से पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य है।

18. अग्रधन की राशि संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, (कॉलम–9 के अनुसार) के नाम से (1) Bank Guarantee अथवा (2) Online (Internet Payment Gateway (IPG), (Challan) के रुप में होना चाहिए। अग्रधन की राशि, मूल रूप में संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, (कॉलम–9 के अनुसार)/ महाप्रबन्धक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबन्धक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय में, निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

19. निविदादाता/एजेंसी/संवेदकगण द्वारा विभिन्न प्रयोजन हेतु जमा करायी जाने वाली बैंक गारंटियों की सत्यता का Real Time जाँच एवं Expiry से पहले नवीकरण हेतु बेहतर प्रबंधन आदि से संबंधित कार्य को बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा ICICI Bank के ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। अतएव, निविदादाता/संवेदकगण कृप्या BG Issuer Bank से BG जारी कराते समय Advising Bank के रुप में ICICI Bank, Branch-Exhibition Road, Patna, (IFSC Code-ICIC0006259) को OPT करना सुनिश्चित कराएंगे। हालाँकि निविदादाता/एजेंसी/संवेदकगण EMD/SD आदि की राशि हेतु पूर्व की भाँति किसी भी Nationalised Bank/SBI द्वारा निर्गत बैंक गारंटी जमा कराने हेतु स्वतंत्र होंगें।

20. दिनांक–01.02.2019 के बाद CA द्वारा Certified/Audited/Attested किए गए सभी Documents यथा Audited Balance Sheet/ Turnover Certificate/अन्य आवश्यक दस्तावेज पर UDIN नम्बर अंकित कराने के उपरान्त ही निविदादाता इसे e-proc2 पर अपलोड करेंगे

21. वेबसाईट पर Tender free view में निविदा प्रपत्र उपलब्ध है। निविदा प्रपत्र में दर्शाए गये स्वरूप में ही अग्रधन की राशि स्वीकार्य होगी।

22. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए संबंधित उप महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, (कॉलम–9 के अनुसार)/महाप्रबंधक (उत्तर/दक्षिण), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 पटना/मुख्य महाप्रबंधक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के कार्यालय से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में सम्पर्क किया जा सकता है।

23. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत करने/रद्द करने का अधिकार सक्षम पदाधिकारी को सुरक्षित है।

24. परिमाण विपत्र की राशि घट–बढ़ सकती है।

25. कार्यावंटन के पश्चात् बिहार सरकार द्वारा जारी संकल्प एवं परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का निर्माण कार्य में पालन करना अनिवार्य होगा।

26. भवन निर्माण विभाग का ज्ञापांक–5768 (भ), दिनांकः 18.07.2023 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा (In Percentage Rate tender) पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम् अधिसीमा को समाप्त कर दिया गया है तद्नुसार निविदादाता को उक्त पत्र के आलोक में एकरारनामा के समय उनके द्वारा निविदित दर के अनुसार additional Performance guarantee जमा करना अनिवार्य होगा।

27. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय एक शपथ–पत्र अपलोड करेंगे जिसमें यह वर्णित होना चाहिए कि वह बिहार सरकार/भारत सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/आदि से डिबार/कालीकृत नहीं हैं। निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक को कार्यपालक अभियंता के द्वारा डिबार किया जाता है तो निविदा में भाग लेने के लिए cut off date निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि होगी तथा उनके निविदा का मूल्यांकन/निष्पादन किया जाएगा। यदि निविदा प्राप्ति के उपरांत एवं निविदा निष्पादन की प्रक्रिया के दौरान यदि संवेदक का ऐसा कृत्य संज्ञान में आता है जिसके कारण अभियंता प्रमुख द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 की कंडिका–11(क) के तहत उन पर अपराधिक मामला बन जाता है अथवा निबंधन कालीकृत/निलंबित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसका प्रभाव कार्य आवंटन तक होगा।

28. निविदादाता निविदा अपलोड करते समय जो शपथ–पत्र अपलोड करेंगे वह निविदा की तिथि के बाद का हो, संलग्न(अपलोड) करना अनिवार्य होगा। पुनर्निविदा की स्थिति में उक्त कार्य के लिए प्रथम/मूल निविदा की तिथि के बाद का निर्गत अभिलेख भी मान्य होगा।

29. निविदा का निस्तारण SBD नियम information to Bidder (ITB), General Condition of Contract (G.C.C.), Special Condition of Contract (S.C.C.), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के नियम और बिहार सरकार के Rule of Bid Document के अनुसार किया जायेगा। इस संबंध में किसी भी विधि सम्मत दावा स्वतः अमान्य होगा।

30. निविदा में एस0वी0डी0 की कंडिका **2A** विलोपित समझा जाए ।
31. गृह विभाग के पत्रांक–29 दिनांक–25.01.2021 के आलोक में कार्य का आवंटन निविदा के माध्यम से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों (संवेदक एवं उपसंवेदकों) से जिला पुलिस के द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र एकरारनामा के पूर्व समर्पित करना अनिवार्य होगा।
32. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा से संबंधित कागजातों में यदि कोई विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है तो इस निविदादाता पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी एवं निबंधन को निलंबित करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
33. Landscape कार्य के साथ परियोजना एवं परियोजना के सभी अवयवों के लिए दोष दायित्व अवधि (DLP) सभी परियोजनाओं को पूरी तरह से हस्तान्तरण के बाद 03 वर्ष के लिए होगा।
34. अभियंत्रण इकाई में कार्यरत कर्मियों की सूची एवं नियोजन के संबंध में नियोजनकर्ता एवं नियोजित अभियंता (अधिकतम 65 वर्ष आयु तक) का शपथ प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
35. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व संबंधित ड्राइंग, डिजाइन, विशिष्टिता एवं कार्य स्थल की वास्तविक स्थिति से अवगत होकर ही अपना दर उद्धृत करेंगें। कार्य स्थल पर मिट्टी, बालू भराई, अतिरिक्त सामग्री ढुलाई इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
36. निर्माण कार्य में उपयोग होने वाले प्रत्येक सामग्री की गुणवत्ता की सम्पुष्टि इंजीनियर ईंचार्ज से कराने के बाद ही उसका उपयोग संबंधित कार्यो में करना होगा।
37. EPC Mode में यदि बोली दस्तावेज में कोई विनिर्देश /ड्राईंग /डिजाईन और आईटम नहीं है तो उस स्थिति में कार्य CPWD विनिर्देश NBC-2016 आईएस कोड प्रावधानों में दिये गये विनिर्देश/ड्राईंग /डिजाईन और आईटम के अनुसार निष्पादित किया जायेगा। DSR -2023, BCD SOR 2022(सिविल मद) एवं BCD ESOR 2023 एवं बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 के प्रभारी अभियंता/सक्षम पदाधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। Sports Authority of India (Sai) का मानक नक्शा/नियम भी मान्य होगा।
38. कार्य के निष्पादन के दौरान यदि निविदादाताओं द्वारा प्रदान की गयी किसी भी वस्तु की विशिष्टताओं में कोई परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना द्वारा कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0 द्वारा निर्गत विशेषताओं /ड्राईंग/डिजाईन एवं मद में छुटे विवरणी के लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा।
39. यह EPC आधारित निविदा है बीडर को वर्तमान GST को सम्मिलित करते हुए निविदा राशि अंकित करनी होगी। GST गणना के लिए अलग से कोई दावा मान्य नहीं होगा।
40. अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या–2377(भ) दिनांक–16.03.2023 के अनुरूप "Contract Clause -25 Settlement of Disputes and Arbitration- The settlement of Disputes and Arbitration shall be done in accordance with the provisions made in Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008".
41. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निविदादाता को राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी वैधानिक स्वीकृति (Firefighting , environment clearance सहित) लेनी होगी एवं इसके लिए बैंक ड्राफ्ट /बैंक गारंटी भी देनी होगी।

ह0/–
मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।

ज्ञापांकः– 532 दिनांकः 07/02/2025

प्रतिलिपिः–निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को e-advertisementके माध्यम से दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ समर्पित।

मुख्य महाप्रबंधक,
बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना।